

**(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
REVENUE DEPARTMENT, 5 SHAM NATH MARG, DELHI**

No. F.1(36)/Regn.Br./HQ/Div.Com./2010/ 353

Dated. 1.07.2010

NOTIFICATION

No. F.1(36)/Regn.Br./HQ/Div.Com./2010: In exercise of the powers conferred by sections 78 and 79 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) as in force in the National Capital Territory of Delhi read with Ministry of States Notification No. 104-J dated the 24th August, 1950 as modified by the States Ministry's Notification No. 124-J dated the 20th September, 1950 and Ministry of Home Affairs, Government of India Notification S.O. 2709 (No.F.41/2/66-Delhi) dated the 7th September, 1966, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby revises the registration fee Table applicable in the National Capital Territory of Delhi which was notified by the then Delhi Administration on June 27, 1964, and notifies the registration fees and miscellaneous fee chargeable at the time of registration of various documents pertaining to sale of lands and immovable/movable properties in the National Capital Territory of Delhi for the purpose and intent of the said Act and the rules made thereunder, as specified in the Table below to this Notification.

The above rates shall be taken into consideration by all the Registering Authorities at the time of registration of instruments under the provisions of the said Act, having jurisdiction on the transaction placed before them for registration,

These rates shall come into force from the date of publication of this notification in the Delhi Gazette.

**The Table
for Registration Fee and Miscellaneous Fee**

For Registration of Documents

Description	Fee Leviable
1. In Book 1, the register of documents such as conveyance deed/sale deed, gift deed, partition deed etc. relating to immovable property:	
(a) For all compulsorily registered documents (other than leases of immovable property)	1 percent of the consideration amount set forth or value as per circle rate which ever is higher subject to maximum of Rupees 50,000/-
(b) If the value or consideration be not at all expressed	Rupees 1000/- for each instrument.
(c) For lease of immovable property	Rupees 1000/- for each instrument.

2. In Book III i.e. Register of Wills and Authorities to adopt	Rupees 500/- for each instrument
3. In Book IV i.e. Miscellaneous registration of all other documents.	Rupees 1000/- for each instrument

Note.-

(i) The Registration fee to be paid on partition deeds should be calculated on the value of the share or shares on which stamp duty has been assessed under Article- 45 of Schedule 1A to the Indian Stamp Act, 1899.

Illustration: Suppose the total value of the property is Rupees One lakh which is being partitioned into four portions i.e. A,B,C,D. The values of all the four portions are forty thousand, thirty thousand, twenty thousand and ten thousand respectively. The registration fee shall be charged on the remaining amount after excluding the largest partition portion i.e. forty thousand. In this case registration fee shall be one percent of Rupees sixty thousand i.e. Rupees 600.

(ii) No fees shall be leviable on any instrument executed for or on behalf of a foreign or Commonwealth Diplomatic Mission in India, specified in this behalf by the Administrator of National Capital Territory of Delhi.

(iii) No registration fee shall be levied upon an instrument executed by or on behalf of any society for the time being registered or deemed to be registered under any law relating to Co-operative Societies for the time being in force or instruments executed by any officer or member of any such society and relating to the business of the Society, if the stamp duty with which such an instrument is chargeable has been remitted.

(iv) No registration fee shall be leviable upon a mortgage executed by an officer of government in civil or military employed for securing the repayment of an advance received by the mortgager from the government for the purpose of constructing or purchasing a dwelling house for his own use.

Miscellaneous fee chargeable

S.No.	Item	Fee chargeable
1.	For an appeal under section 72, or an application under section 73 and enquiry under section 74 of the Registration Act, 1908, or for an enquiry made by a Registering Officer about the fact of execution etc.	Rupees 100

	when any document, will or authority to adopt, is presented after the death of the executants or the testator	
2.	For an application filed under section 25 , section 34 or under section 36 of the Registration Act, 1908	Rupees 100
3.	For every application filed before a Registering Officer relating to any official matter or registration business or proceedings.	Rupees 100
4.	For inspection or searches by Registering Officer under section 57: Search for, or inspection of per document per year.	Rupees 100
5.	For making or granting copies of reasons for entries or of documents before or after registration.	Rupees 10 per page.
6.	For the issue of commissions and for attending at private residences: (1) When a satisfactory certificate is produced as to sickness or infirmity or when the person to be examined is in jail. (2) In all other cases.	Rupees 500 Rupees 200 Note:- In addition to the above fees, a traveling allowance is to be levied Rupees 10 per kilometer of distance from office to visiting place to and fro. In the case of persons appointed to execute a commission under section 33 or section 38 of the Registration Act, 1908, same rate shall apply. The persons on whose behalf the journey referred to in Para 19 of the Registration Manual, are performed shall pay to the government such sum, as may be necessary to cover the traveling cost of the Registering Officer or any person appointed to execute the commission.
7.	For filing translations	Rupees 50

8.	For deposit of WILL under section 42, withdrawal of WILL under section 44 and opening of sealed WILL under section 45.	Rupees 100 each
9.	For authentication of a Power of Attorney under section 33.	Rupees 1000.
10.	For the safe custody of documents remaining unclaimed after registration or after registration is refused: When application for return of registered document or of a document whose registration has been refused is made after one week from the date of such registration or refusal	Rupees 50 per week subject to maximum of Rupees 500 in the case of single document

Note:-

- (a) Government officers who may want to search the register or take copies of entries in the register for bona fide public purposes will be exempted from payment of the fees under serial Nos. 4 and 5 on a certificate being granted by the Registrar of the district that information is required solely in the interest of Government.
- (b) The fees for copying maps and plans of estates or houses etc., such as are filed in supplementary Book 1 shall be determined by the Head of the office.
- (c) An application under Article III for grant of a copy of a document shall show the names of the claiming and executing parties and the nature and date of the document. In case the application is made after the registration of the document, the application shall also show the date of its registration, the serial number of Volume, and the numbers of pages on which it was registered.

**By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi**

(Rajesh Misra)

Special Inspector General (Registration)

No. F.1(36)/Regn.Br./HQ/Div.Com./10/ 353

Dated 1-7-2010

Copy to:-

1. The Pr. Secretary to L.G., Delhi.
2. The Pr. Secretary to the Chief Minister, Delhi.
3. The Secretary(GAD), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV(extraordinary).
4. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi
5. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi
6. OSD to Chief Secretary, Delhi
7. The Jt. Secretary(Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi
8. All Dy. Commissioners(Revenue), ADMs, SDMs, Sub-Registrars/DIOs
9. State Informatics Officer, NIC, Delhi Secretariat, Delhi
10. PS to Divisional Commissioner, Delhi
11. Guard file.



(Rajesh Misra)

Special Inspector General (Registration)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(राजस्व विभाग)

सं.फा. 01(36)/पंजी0 शाखा/मुख्या0/मंडली0आयु0/2010/ 353

दिनांक: /-07-2010

अधिसूचना

सं.फा. 01(36)/पंजी0 शाखा/मुख्या0/मंडली0आयु0/2010/ .- राज्य मंत्रालय अधिसूचना सं0 124-जे दिनांक 20 सितम्बर, 1950 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 07 सितम्बर, 1966 की अधिसूचना एस0 ओ0 2709 (सं0फा0 41/2/66-दिल्ली) द्वारा यथासंशोधित राज्य मंत्रालय अधिसूचना संख्या 104-जे दिनांक 24 अगस्त, 1950 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 तथा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली में लागू पंजीकरण शुल्क की उस तालिका में संशोधन करते हैं, जो दिल्ली प्रशासन द्वारा 27 जून, 1964 को अधिसूचित की गई थी तथा इस अधिसूचना के अनुलग्नक-1 में यथाविनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिल्ली में भूमि तथा अचल/चल संपत्ति के क्रय से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के समय प्रभार्य पंजीकरण शुल्क तथा विविध शुल्कों को अधिसूचित करते हैं।

उपरोक्त दरों पर, दिल्ली में यथा प्रवृत्त पंजीकरण के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत लेन-देन पर क्षेत्राधिकार होते हुए उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रलेखों के पंजीकरण के समय सभी पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा।

ये दरें दिल्ली राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगी।

पंजीकरण शुल्क एवं विविध शुल्क तालिका

प्रलेखों के पंजीकरण हेतु

विवरण	आरोप्य शुल्क
1. बही 1 में, प्रलेखों का पंजीकरण जैसे अचल संपत्ति से संबंधित हस्तान्तरण विलेख/विक्रय विलेख, उपहार विलेख विभाजन विलेख आदि (क) सभी प्रकार के अनिवार्य रूप से पंजीकृत प्रलेखों के लिये (अचल संपत्ति के पट्टों के अतिरिक्त) (ख) यदि मूल्य या प्रतिफल राशि सभी प्रकार से प्रकट न हो (ग) अचल संपत्ति के पट्टे के लिये	सर्किल दर के अनुसार घोषित प्रतिफल राशि या मूल्य जो भी अधिक हो का एक प्रतिशत, अधिकतम 50,000/-रुपये प्रत्येक प्रलेख के लिये 1000/-रुपये प्रत्येक प्रलेख के लिये 1000/-रुपये
2. बही III में अर्थात् वसीयत रजिस्टर में और अंगीकार करने वाले प्राधिकरण	प्रत्येक प्रलेख के लिये 500/-रुपये
3. बही IV में सभी प्रकार के अन्य प्रलेखों के विविध पंजीकरण	प्रत्येक प्रलेख के लिये 1000/-रुपये

टीप :-

(i) विभाजन विलेखों पर भुगतान किए जाने वाले पंजीकरण शुल्क भाग या भागों के मूल्य के आधार पर ज्ञात किया जाएगा जिस पर भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1क के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

सोदाहरण : मान लीजिए किसी संपत्ति का कुल मूल्य एक लाख रुपये है जो चार भागों अर्थात् क, ख, ग एवं घ में विभाजित की जा रही है। चार भागों के मूल्य क्रमशः चालीस हजार, तीस हजार, बीस हजार और दस हजार रुपये हैं। पंजीकरण शुल्क विशालतम् विभाजित भाग अर्थात् चालीस हजार के निकालने के उपरांत शेष राशि पर वसूल किया जाएगा। इस मामले में पंजीकरण शुल्क साठ हजार रुपये का एक प्रतिशत अर्थात् 600/-रुपये ।

(ii) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासक द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट भारत में किसी विदेशी या कामनवेल्थ डिप्लोमेटिक मिशन के लिये या उसकी तरफ से निष्पादित किसी प्रलेख पर कोई शुल्क आरोप्य नहीं होगा।

(iii) अस्थाई रूप से प्रचलित सहकारी समितियों से संबंधित किसी कानून के अन्तर्गत अस्थाई रूप से पंजीकृत या पंजीकृत मान ली गई किसी समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किसी प्रलेख पर या किसी अधिकारी या ऐसी समिति के किसी सदस्य तथा समिति के कारोबार से संबंधित निष्पादित प्रलेखों पर किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क आरोप्य नहीं होगा, यदि मुद्रांक शुल्क में छूट दी गई है, जिसके साथ ऐसा कोई प्रलेख आरोप्य है।

(iv) सिविल या सेना में तैनात सरकार के किसी अधिकारी द्वारा अपने प्रयोग के लिये किसी आवासीय भवन के निर्माण या खरीदने के प्रयोजन के लिए सरकार से बंधकदाता द्वारा प्राप्त ऋण के पुनर्भुगतान प्राप्ति करने के लिये निष्पादित किसी रहन/बंधक पर किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क आरोप्य नहीं होगा।

प्रभार्य विविध शुल्क

क्र० सं०	मद	आरोप्य शुल्क
1.	पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 72 के अन्तर्गत अपील या धारा 73 के अन्तर्गत किसी आवेदन तथा धारा 74 के अन्तर्गत जांच, निष्पादन इत्यादि के तथ्य के संबंध में किसी पंजीकरण अधिकारी द्वारा की गई किसी जांच के लिये, जब कोई प्रलेख या वसीयत या प्राधिकार पत्र स्वीकार किया गया है जो कर्ताओं या वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरांत प्रस्तुत किया गया है।	100/-रुपये
2.	पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 25, धारा 34 के अन्तर्गत या धारा 36 के अन्तर्गत दायर आवेदन पत्र के लिये।	100/-रुपये
3.	किसी सरकारी मामले या पंजीकरण कार्य या कार्रवाई से संबंधित किसी पंजीकरण अधिकारी के समक्ष दायर प्रत्येक आवेदन के लिये।	100/-रुपये
4.	प्रतिवर्ष प्रति प्रलेख की तलाशी के लिये या निरीक्षण के लिये: धारा 57 के अन्तर्गत पंजीकरण अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये या तलाशी के लिये।	100/-रुपये
5.	पंजीकरण से पूर्व या बाद में प्रविष्टियों के या प्रलेखों के कारणों की प्रतियां बनाने या प्रदान करने के लिये ।	10/-रुपये प्रति पृष्ठ की दर

6.	अधिकार-पत्र जारी करने हेतु एवं निजी आवासों में उपस्थित होने के लिये (1) जब कोई संतोषजनक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो जैसे रूग्णता या अशक्तता का या जब जांच किए जाने वाला व्यक्ति जेल में हो (2) अन्य सभी मामलों में	500/-रुपये 200/-रुपये नोट :- उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त 10/-रुपये प्रति किलोमीटर से कार्यालय से गन्तव्य स्थान तथा वापिस आने का यात्रा भत्ता भी वसूला जायेगा। यदि किसी व्यक्ति को पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 33 या धारा 38 के अंतर्गत कमीशन के निष्पादन के लिए नियुक्त किया गया है तो वह व्यक्ति जिसकी तरफ से पंजीकरण मैनुअल के पैरा 19 में उल्लिखित यात्रा की गई है, सरकार को इसकी राशि देगा जो पंजीकरण अधिकारी या कमीशन को निष्पादित करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।
7.	अनुवाद जमा करने के लिये	50 /-रुपये
8.	धारा 42 के अन्तर्गत वसीयत जमा करने, धारा 44 के अन्तर्गत वसीयत वापिस लेने तथा धारा 45 के अन्तर्गत सील बंद वसीयत खोलने के लिये	100/-रुपये प्रत्येक
9.	धारा 33 के अन्तर्गत मुख्तारनामा को प्रमाणित करने के लिये	1000/-रुपये
10.	पंजीकरण के पश्चात् या पंजीकरण अस्वीकृत किए जाने के पश्चात् दावा न किये जाने वाले दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु : पंजीकृत दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेज जिनका पंजीकरण अस्वीकृत किया गया है उक्त पंजीकरण या अस्वीकृति के लिए सप्ताह पश्चात् दस्तावेजों की वापसी के लिए आवेदन किया जाता है।	प्रति सप्ताह 50/-रुपये जो एक दस्तावेज के मामले में अधिकतम 500/-रुपये होगा।

टीप:

(क) सरकारी अधिकारी जो रजिस्टर की जाँच करना चाहते हैं अथवा सद्भावना से जनता के उद्देश्यों के लिये रजिस्टर में प्रविष्टियों की प्रतियां लेना चाहते हैं उन्हें जिले के पंजीयक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि अपेक्षित सूचना पूरी तरह सरकार के हित में हैं, दिए जाने वाले प्रमाण पत्र पर क्रम संख्या 4 एवं 5 के अधीन शुल्कों के भुगतान से छूट होगी।

(ख) नक्शे की प्रति तैयार करने तथा भू-संपत्ति अथवा मकानों के मापचित्र इत्यादि के लिए शुल्क जैसे अनुपूरक पुस्तिका 1 में प्रस्तुत है, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होगा।

(ग) दस्तावेज की प्रति देने के लिए मद III के अधीन आवेदन में दावा करने वाले तथा निष्पादित करने वाले पक्षों का नाम तथा दस्तावेज के स्वरूप एवं तिथि का उल्लेख होगा। यदि

आवेदन दस्तावेज़ के पंजीकरण के पश्चात् किया गया हो तो आवेदन में इसके पंजीकरण की तारीख, खंड की क्रम संख्या तथा उन पृष्ठों की संख्या जिसमें यह पंजीकृत था, का भी उल्लेख होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(राजेश मिश्रा)
विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

सं.फा. 01(36)/पंजी0 शाखा/मुख्या0/मंडली0आयु0/10/ 353

दिनांक: 1-07-2010

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
4. सचिव, गृह विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
6. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. समस्त उपायुक्त (राजस्व), ए0डी0एम,एस0डी0एम0, उप-पंजीयक/डीआईओ।
9. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
10. नि. सं. मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।
11. गार्ड फाईल।

(राजेश मिश्रा)
विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)